



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-23122022-241363
CG-MH-E-23122022-241363

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5786]
No. 5786]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 23, 2022/पौष 2, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 23, 2022/PAUSA 2, 1944

परमाणु ऊर्जा विभाग
आदेश

मुंबई, 23 दिसम्बर, 2022

का.आ. 6029(अ).—केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 9 के उप-नियम (2), नियम 12 के उप-नियम (2) के खंड (बी) और नियम 24 के उप-नियम (1) के अनुसरण में राष्ट्रपति भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), में दिनांक 22 मई, 2013, को प्रकाशित परमाणु ऊर्जा विभाग में भारत सरकार के दिनांक 16 मई, 2013 के आदेश क्रमांक एस.ओ.1317(ई), में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं; अर्थात्: -

उक्त आदेश में, "भाग-द्वितीय – सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'सी' "शीर्षक के तहत, क्रम संख्या 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्: -

1	2	3	4	5	6
"5	विरल पदार्थ परियोजना में पद	निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) अथवा मुख्य प्रशासन अधिकारी, विरल पदार्थ परियोजना, मैसूरु	निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) अथवा मुख्य प्रशासन अधिकारी, विरल पदार्थ परियोजना, मैसूरु	सभी	प्रमुख, योजना एवं समन्वय प्रभाग अथवा नियंत्रक भागा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुंबई"

[फा. सं. विज.-30/3/2022- डीएई]

संजय कुमार, संयुक्त सचिव (प्रशासन एवं लेखा)

फुटनोटः—मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में दिनांक 22 मई, 2013 को संख्या का.आ. 1317 (अ) द्वारा प्रकाशित किया गया था।

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

ORDER

Mumbai., the 23rd December, 2022

S.O. 6029(E).—In pursuance of sub-rule (2) of rule 9, clause (b) of sub-rule (2) of rule 12 and sub-rule (1) of rule 24 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, the President hereby makes the following amendments in the Order of the Government of India in the Department of Atomic Energy, number S.O.1317(E), dated the 16th May, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 22nd May, 2013, namely:-

In the said Order, under the heading “Part-II - GENERAL CENTRAL SERVICE, GROUP ‘C’ ”, for serial number 5 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely: -

1	2	3	4	5	6
“ 5	Posts in the Rare Materials Project, Mysuru	Director, (Personnel and Administration) or Chief Administrative Officer, Rare Materials Project, Mysuru	Director, (Personnel and Administration) or Chief Administrative Officer, Rare Materials Project, Mysuru	All	Head, Planning and Co-ordination Division or Controller, Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai”

[F. No. VIG-30/3/2022-DAE]

SANJAY KUMAR, Jt. Secy. (A & A)

Foot note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1317(E), dated the 22nd May 2013.